रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2010/श्रावण 8, 1932

No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2010/SHRAVANA 8, 1932

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है;

(ख) "निरीक्षण अधिकारी" से धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं ।

3. निरीक्षण अधिकारी.—(1) अभिहित अभिकरण धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार के उप सचिव से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों में से निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

(2) धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी के पास धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (त) के अधीन प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं होंगी ।

(3) कोई निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण करते समय निरीक्षण अधिकारी के रूप में या ऐसा निरीक्षण करने के लिए किसी प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) निरीक्षण अधिकारी कारणों को अभिलिखित करके, जहां आवश्यक हो, निरीक्षण से संबंधित निम्नलिखित विषयों में किसी एक या अधिक के संबंध में कार्रवाई करने के लिए ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक, प्रयोगशाला या वृत्तिक संगठन के साथ परामर्श करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 14 के खंड (क) और खंड (घ) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माणकर्ता के परिसरों का जब निरीक्षण किया जा रहा हो ;

(ख) धारा 14 के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उपस्कर के नमूनो का जब परीक्षण किया जा रहा हो ;

(ग) धारा 14 के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन समाविष्ट किए जाने के लिए आशयित परेषणों का जब निरीक्षण किया जा रहा हो ;

(घ) धारा 26 में निर्दिष्ट धारा 14 के खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ट) या खंड (ड) या खंड (ढ) या खंड (द) या खंड (ध) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में जब निरीक्षण किया जा रहा हो ।

(5) निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों के प्रबंध में मजबूती और कमियों की रिपोर्ट देगा और आंकड़ा, ऊर्जा प्रबंध प्रणाली और ऊर्जा दक्षता में सुधार तथा ऊर्जा खपत के उपाय रिपोर्ट करने की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा ।

4. प्रक्रिया और उपकरण का निरीक्षण - (1) जहां मानदंडों के अनुपालन या ऊर्जा खपत मानकों या लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करना अपेक्षित है वहां निरीक्षण अधिकारी अभिहित अभिकरण से निदेश प्राप्त होने पर, उत्पादन प्रक्रिया या उपस्कर का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) भेजे जाने से पूर्व विनिर्माण के स्थान, या भारत में आयात के स्थान या उसके विक्रय के स्थान पर निरीक्षण किया जाएगा ।

(3) निरीक्षण के अंतर्गत उपस्कर या निरीक्षण अभिलेख के संबंध में की गई किसी संक्रिया या परीक्षण के अभिलेखों का निरीक्षण या नमूनो का परीक्षण या नियम 3 के उपनियम (4) के खंड (घ) में निर्दिष्ट विषयों का निरीक्षण सम्मिलित है ।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया - (1) किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा तब तक कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिहित अभिकरण द्वारा उसे प्राधिकृत न किया गया हो ।

(2) अभिहित अभिकरण निरीक्षण के लिए प्राधिकार जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त जानकारी का सम्यक रूप से भरोसेमंद और विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापन कर लिया गया है और की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई लिखित में अभिलिखित की जानी चाहिए ।

(ख) उन संबद्ध व्यक्तियों को जिनके विरूद्ध निरीक्षण किया जाना है सूचना दे दी गई है और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर उसे दिया गया है ;

(ग) निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण करने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताएगा ।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी अभिहित अभिकरण का यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए प्राधिकार और अनुदेश जारी कर सकेगा ।

(4) निरीक्षण के लिए जारी प्रत्येक प्राधिकार अभिहित अभिकरण के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन लिखित रूप में होगा ।

(5) प्रत्येक निरीक्षण दो सम्मानीय साक्षियों की उपस्थिति में किया जाएगा ।

(6) तैयार सभी दस्तावेज, परीक्षण जांच के लिए चिन्हित नमूने, परीक्षण के लिए जारी निदेश, निरीक्षण के अनुसरण में धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित कथन पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे ।

(7) निरीक्षण के लिए, निरीक्षण अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त समय के साथ उचित नोटिस जारी की जाएगी ।

(8) निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए गए नमूनों पर उनकी पहचान स्थापित करने के लिए पहचान चिन्ह लगाए जाएंगे ।

(9) धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी को किया गया कोई कथन या दी गई सूचना या दिया गया कोई साक्ष्य गोपनीय माना जाएगा ।

6. **निरीक्षण रिपोर्ट**– निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें स्पष्टतया विषय पर की जाने वाली कार्यवाही पर अपनी सिफारिशों के साथ अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के स्पष्ट अतिक्रमण का उल्लेख होगा और रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होगा --

(क) विनिर्माता जिसके अंतर्गत अभिहित उपभोक्ता है द्वारा लगाई गई या प्रयुक्त ऊर्जा पैदा करने, उपभोग करने, पारेषण करने या आपूर्ति करने के उपस्कर की आयु, दशा, गुणता, प्राचीनता की प्रास्थिति और तकनीक ;

(ख) ऐसा विस्तार जिसपर प्रक्रिया, उपस्कर और साधित्र धारा 14 के खंड (क) के निम्नानुसार ऐसी प्रक्रिया या उपस्कर या साधित्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग संनियमों या ऊर्जा उपभोग मानकों का पालन करता है ;

(ग) उस बाबत बनाए गए विनियमों के अनुपालन में उस पर लेबल लगाने के लिए अधिसूचित उपस्कर ;

(घ) वार्षिकता : विनिर्मित किए जाने वाले लेबल उपस्करों की संख्या ;

(ङ) क्या उस बाबत बनाए गए विनियमों के अनुसार लेबल मुद्रित और प्रदर्शित किए गए हैं ;

(च) क्या ऊर्जा संपरीक्षा नियमित रूप से धारा 14 के खंड (ज) या खंड (झ) के अनुपालन में इस बाबत अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है ;

(छ) क्या अभिहित उपभोक्ता उपभोग की गई ऊर्जा की बाबत सूचना प्रस्तुत कर रहा है और धारा 14 के खंड (ट) के अधीन ऊर्जा संरक्षण (प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षा की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई और उपभोग की गई ऊर्जा के संबंध में दी गई सूचना के प्ररूप और रीति और समय) नियम, 2008 के निबंधनानुसार प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षा की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है ;

(ज) क्या प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति धारा 14 के खंड (ट) के निबंधनानुसार अभिहित उपभोक्ता द्वारा सम्यक रूप से की गई है और ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उपभोग की प्रास्थिति पर रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने का प्ररूप और रीति) नियम, 2007 के अधीन नियमित आधार पर अभिहित अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ;

(झ) क्या अभिहित उपभोक्ता जो धारा 14 के खंड (छ) के अधीन विहित ऊर्जा उपभोग संनियमों और मानकों को पूरा नहीं करता, ने ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए स्कीम तैयार की है और वह धारा 14 के खंड (ण) के अनुपालन में विनिधान की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उक्त स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है ;

(ञ) किसी बिंदु पर उसका विचार जिसे वह ऊर्जा दक्षता या इसके संरक्षण के उन्नयन के प्रयोजन के लिए और अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझता है ।

7. रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना - (1) निरीक्षण रिपोर्ट अभिहित अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी और रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या ऐसी तारीख को जो संसूचना में उपदर्शित की जाए, जो बाद में हो, प्रस्तावित कार्रवाई के अनुक्रम के विरोध में अपना बचाव प्रस्तुत करने का उसे अवसर दिया जाएगा ।

(3) अभिहित अभिकरण संबद्ध व्यक्ति के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निरीक्षण अधिकारी को धारा 26 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए धारा 27 के अधीन संबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही आरंभ करने का निदेश दे सकेगा ।

[फा. सं. 10/2/08-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2010

G.S.R. 645(E).— In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Energy Conservation (Inspection) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;
(b) "inspecting officer" means the inspecting officer appointed under sub-section (1) of section 17;
(c) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Inspecting Officer.- (1) The designated agency may, appoint inspecting officer under sub-section (1) of section 17 from amongst the officers of the State Government not below the rank of the Deputy Secretary.

(2) The inspecting officer appointed under sub-section (1) of section 17 shall possess the qualifications specified for accredited energy auditors under clause (p) of sub-section (2) of section 13.

(3) An inspecting officer shall, at the time of carrying out inspection produce a certificate of appointment as an inspecting officer or an authority for undertaking such inspection.

(4) The inspecting officer, after recording reasons in writing, shall, wherever necessary, make consultation with accredited energy auditor, laboratory or professional organization approved by the Bureau for dealing with any one or more of the following matters relating to inspection, namely:-

(a) while carrying out inspections of manufacturer's premises for ensuring compliance with the provisions contained in clauses (a) and (d) of section 14;

(b) while testing samples of equipment specified under clause (b) of section 14;

(c) while inspecting consignments intended to be covered under clauses (a) and (b) of section 14;

(d) while carrying carry out inspection with regard to the matters specified in clause (c) or clause (d) or clause (h) or clause (i) or clause (k) or clause (l) or clause (n) or clause (r) or clause (s) of section 14 referred to in section 26.

(5) The inspecting officer during the course of inspection shall report on the strengths and weaknesses in the management of energy and energy resources and recommend action to improve upon the quality of reporting data, energy management system and measures to improve energy efficiency and reduce energy consumption.

4. Inspection of processes and equipment. - (1) Where compliance to norms or energy consumption standards or display of particulars on label is required, the inspecting officer may, on receipt of directions from the designated agency, carry out inspection of the production processes or equipment.

(2) Inspection may be carried out at place of manufacture before dispatch, or at the place of its import into India, or at place of its sale.

(3) Inspection may include inspection of any operation carried on in connection with equipment or inspection of records of testing or testing of a sample or matters referred to in clause (d) of sub-rule (4) of rule 3.

5. Procedure for Inspection.- (1) No inspection shall be undertaken by an inspecting officer unless it has been authorised by the designated agency.

(2) The designated agency before issuing authority for inspection shall ensure that -

(a) information received for the purpose of inspection has been duly verified from the credible and reliable sources and the action proposed to be undertaken must be recorded in writing;

(b) notice has been given to the person concerned against whom the inspection is sought and a reasonable opportunity of being heard has been given to him;

(c) the inspecting officer shall record reasons for undertaking inspection and clearly bring out its need for discharge of his duty;

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (2), the designated agency, if satisfied that there are adequate reasons for undertaking such inspection

may, for reasons to be recorded in writing, issue the authority and directions to the inspecting officer to carry out the inspection.

(4) Every authority issued for inspection shall be in writing under the signature and seal of the designated agency.

(5) Each inspection shall be undertaken in the presence of two respectable witnesses.

(6) All documents prepared, samples identified for test-checking, directions issued for testing, statement recorded under sub-section (2) of section 17 in pursuance of inspection, shall be signed by the said witnesses.

(7) For inspection, a proper notice with reasonable time shall be issued by the inspecting officer.

(8) The samples inspected by the inspecting officer shall be marked with identification mark to establish their identity.

(9) Any statement made or information supplied or any evidence given to the inspecting officer during inspection under the provisions of sub-section (2) of section 17 shall be treated as confidential.

6. Inspection report.- The inspecting officer shall prepare an inspection report, bringing out clearly the violations of the provisions of the Act or rules or regulations made thereunder along with his recommendations on the action to be taken in the matter and the report shall inter-alia include -

(a) age, condition, quality, status of obsolescence, and technology of the equipment generating, consuming, transmitting or supplying energy installed or used by the manufacturer including designated consumer;

(b) the extent to which the process, equipment and appliance compiy with the energy consumption norms or the energy consumption standards notified by the Central Government in relation to such process or the equipment or appliance in terms of clause (a) section 14;

(c) the equipment notified for affixation of labels thereon in compliance with the regulations made in that behalf ;

(d) number of labeled equipments manufactured annually;

(e) whether labels are printed and displayed as per regulations made in that behalf;

(f) whether energy audit is being done regularly and as per procedure laid down in this behalf in compliance to clause (h) or clause (i) of section 14;

(g) whether the designated consumer is furnishing the information with regard to energy consumed and action taken on the recommendations of

the accredited energy auditor in terms of Energy Conservation (Form and Manner and Time for Furnishing Information With Regard to Energy Consumed and Action Taken on Recommendations of Accredited Energy Auditor) Rules,2008 under clause (k) of section 14 ;

(h) whether certified energy manager has been duly appointed by the designated consumer in terms of clause (l) of section 14, and a report is being submitted to the designated agency on regular basis under the Energy Conservation (the form and manner for submission of report on the status of energy consumption by the designated consumers) Rules,2007;

(i) whether the designated consumer, who does not fulfill the energy consumption norms and standards prescribed under clause (g) of section 14 has prepared a scheme for efficient use of energy and its conservation and is implementing the said scheme keeping in view the economic viability of the investment in compliance of clause (o) of section 14;

(j) his observations on any point which he considers necessary for the purpose of promotion of energy efficiency or its conservation and enforcement of the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.

7. Submission of report.- (1) The inspection report shall be submitted to the designated agency.

(2) A copy of the inspection report shall be given to the chief executive officer of the designated agency and the person concerned, affording him an opportunity to prefer his defense against the course of action proposed, within thirty days of the receipt of the report or such date as may be indicated in the communication, whichever is later.

(3) The designated agency may, after taking into account the reply of the person concerned and after giving him an opportunity of being heard, give directions to the inspecting officer to initiate adjudication proceedings against the person concerned under section 27 for imposition of penalty under section 26.

[F. No. 10/2/08-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.